भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4984
23 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय : प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों हेतु विशेष पैकेज

4984. एडवोकेट ए.एम. आरिफः

श्री वी.के. श्रीकंदनः

श्री एच. वसंतकुमारः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं का केरल सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) केरल में इन योजनाओं से लाभान्वित होने वाले आपदा प्रभावित किसानों की जिले-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार प्रभावित किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए इस संबंध में एक सर्वेक्षण करने पर विचार करेंगी;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार उन जिलों में विशेष पैकेज/वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है/देने का कोई प्रावधान बनाया है जहां प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि प्रभावित हुई है और यदि हां, तो केरल सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई मांग प्राप्त हुई है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान किसानों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री-आशा योजना के तहत खर्च किए गए धन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आवश्यक राहत उपाय शुरू करने के लिए अधिकृत हैं। राहत उपाय शुरु करने के लिए राज्य सरकार के पास राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के रुप में निधियां उपलब्ध होती हैं। राज्य सरकारों से राहत सहायता ज्ञापन प्राप्त होने और विस्तृत मानदण्डों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार एसडीआरएफ के अलावा राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर विचार किया जाता है।

कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग सूखे, ओलावृष्टि, कीट के हमले और शीत लहर/पाला पड़ने के कारण अपनी फसलों को खो चुके किसानों को एनडीआरएफ के तहत राहत प्रदान करता है। उक्त आपदाओं से प्रभावित राज्यों को वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान एनडीआरएफ से 15823.36 करोड़ रु. की राशि अनुमोदित की गई (**अनुबंध- I**)।

भारत सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और राष्ट्रीय कृषि मण्डी योजना (ई-नाम) के अलावा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत किसानों की सूखा शमन की

आवश्यकताओं और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई योजनाएं/कार्यक्रम शुरु किए हैं। राज्यों को आरकेवीवाई के तहत किसानों के लिए क्षेत्र विशेष कार्यकलापों की योजना बनाने के लिए छूट दी गई है।

कृषि राज्य का विषय है। राज्य सरकारें प्रभावित किसानों को निधियों का वितरण करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। सभी व्यक्तिगत लाभार्थी-उन्मुख सहायता अनिवार्य रुप से लाभार्थी के बैंक खाते में डाली जाती है। विभिन्न मदों के तहत संवितरण में सुधार और लाभार्थियों को राहत प्रदान करने में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सरकार को व्यक्तिगत लाभार्थियों की समेकित सूची तैयार करनी होगी, जिनके बैंक खाते में निधियां अंतरित की गई हैं। तैयार की गई सूची को सत्यापन और सामाजिक ऑडिट के उद्देश्य से अपनी वेबसाइट के साथ-साथ राज्य/जिला और ब्लॉक/तालुक स्तर पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

(घ) एवं (ड.): जुलाई-अगस्त 2018 में बाढ़ और भूस्खलन के पश्चात केरल सरकार द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के आधार पर भारत सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन के लिए एनडीआरएफ से 3048.39 करोड़ रुपये की सहायता और वास्तविक रूप से बचाव और राहत के लिए वायु सेना के हेलीकाप्टर की सेवाओं का उपयोग करने के लिए वायु बिल को मंजूरी दी थी।

भारत सरकार ने वर्ष 2018 में केरल में बाढ़ के कारण बागवानी फसलों को नुकसान को कम करने के लिए 23 अगस्त, 2018 को समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत 93.39 करोड़ रुपये (56.03 रुपये का केंद्रीय अंश और 37.33 करोड़ रुपये का राज्य अंश) का विशेष पैकेज स्वीकृत किया था और केंद्रीय अंश की पूरी राशि 28.08.2018 को जारी की गई। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान, केरल सरकार ने सूखे की स्थिति में एनडीआरएफ से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया है। हालांकि, 2016-17 के दौरान, केरल सरकार ने सूखे की स्थिति एनडीआरएफ से वित्तीय सहायता की मांग करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इसके जवाब में भारत सरकार ने एनडीआरएफ से राज्य सरकार को 112.05 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है **(अनुबंध-I)**।

(च): पीएम-आशा के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना के तहत दलहन और कोपरा की खरीद की जानी है और तिलहन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों को भावान्तर भुगतान योजना (पीडीपीएस) और मूल्य समर्थन योजना पूरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विशेषकर तिलहन हेतु दिए गए विपणन मौसम में दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए छूट के साथ लाभ प्रदान किया जाता है। मूल्य समर्थन प्रणाली के तहत की गई खरीद और लाभान्वित किसानों की संख्या का विवरण **अनुबंध-II** पर है।

अनुबंध-I

अता.प्र.सं.4984

वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान एनडीआरएफ के तहत सहायता का राज्यवार विवरण (सूखा, ओलावृष्टि, कीट हमला और शीत लहर/पाला)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**आपदा**	**राज्य सरकार द्वारा मांगी गई सहायता**	**भारत सरकार द्वारा स्वीकृत केन्द्रीय सहायता (एनडीआरएफ के तहत)**
2016-2017 के दौरान				
1.	कर्नाटक	सूखा (खरीफ) सूखा(रबी)	4702.54 3310.83	1782.44 795.544
2.	आंध्र प्रदेश	सूखा (खरीफ)	2513.97	518.93
3.	केरल	सूखा (खरीफ)	1019.90	112.05
4.	तमिलनाडु	सूखा (खरीफ)	39565.00	1748.28
5.	राजस्थान	सूखा (खरीफ)	3660.97	588.34
6.	पुडुचेरी	सूखा(रबी)	150.52	17.70
	कुल		**54923.73**	**5563.28**
2017-18 के दौरान				
1.	छत्तीसगढ़	सूखा (खरीफ)	4401.00	395.91
2.	मध्य प्रदेश	सूखा (खरीफ)	3705.95	836.09
3.	राजस्थान	सूखा (खरीफ)	3078.26	526.14
4.	आंध्र प्रदेश	सूखा (रबी)	679.19	113.14
5.	महाराष्ट्र	कीट हमला/ ओखी चक्रवात	3373.31	60.76
6.	उत्तर प्रदेश	सूखा (रबी)	678.98	157.23
कुल			**15916.69**	**2089.27**
2018-19 के दौरान				
1.	आंध्र प्रदेश	सूखा (खरीफ)	1466.91	900.40
2.	कर्नाटक	सूखा (खरीफ)	2434.00	949.49
3.	महाराष्ट्र	सूखा (खरीफ)	7902.77	4714.28
4.	राजस्थान	सूखा (खरीफ)	2819.58	1206.62
5.	गुजरात	सूखा (खरीफ)	4547.85	127.60
6.	झारखंड	सूखा (खरीफ)	1535.29	272.42
7.	कर्नाटक	सूखा (रबी)	2064.30	*
कुल			**22770.70**	**8170.81**

* उच्च स्तरीय समिति के समक्ष एससी-एनईसी की सिफारिशों को प्रस्तुत करने के लिए गृह मंत्रालय को भेजा गया।

अनुबंध II

लो.स.अ.ता.प्र.सं. 4984

क्र.सं.	राज्य का नाम	खरीदी गई मात्रा (दलहन एवं तिलहन) (एमटी में)	एमएसपी मूल्य (रुपये करोड़ में)	लाभार्थी किसानों की संख्या
खरीफ 2017-18				
1	तेलंगाना	124343.42	594.60	93581
2	आंध्र प्रदेश	132498.28	660.79	96421
3	कर्नाटक	382270.88	2073.58	330346
4	राजस्थान	547916.86	2839.90	293516
5	महाराष्ट्र	423940.13	2245.57	375980
6	गुजरात	918692.18	4176.97	512758
7	उत्तर प्रदेश	22568.00	121.87	13858
8	पश्चिम बंगाल	6789.37	36.66	9029
	कुल योग	2559019.12	12749.94	1725489
				रबी 2018-19
1	तेलंगाना	52239.62	231.79	39351
2	आंध्र प्रदेश	172656.95	840.64	110156
3	कर्नाटक	136013.05	598.46	103491
4	राजस्थान	1051586.54	4438.34	392958
5	महाराष्ट्र	194726.89	856.80	139792
6	गुजरात	143659.55	611.04	78092
7	उत्तर प्रदेश	29263.69	126.22	22114
8	पश्चिम बंगाल	826.60	3.31	2170
9.	हरियाणा	236337	946	116199
10.	तमिलनाडु	1561.57	8.43	1309
11.	मध्य प्रदेश	1964964.98	8562.96	842502
12.	ओडिशा	9432.97	48.94	12485
	कुल योग	3993269.41	17272.93	1860619
खरीफ 2018-19				
1	तेलंगाना	99489.90	547.27	99867
2	आंध्र प्रदेश	5415.47	31.01	6107
3	कर्नाटक	154904.2	916.70	215246
4	राजस्थान	549162.16	3228.62	286312
5	महाराष्ट्र	84873.53	501.58	110278
6	गुजरात	491302.47	2438.61	243134
7	उत्तर प्रदेश	38505.55	209.41	33248
8.	हरियाणा	224.9	1.57	227
9.	तमिलनाडु	764.80	4.81	1011
10.	मध्य प्रदेश	379709.53	2110.56	345801
	कुल योग	1804352.51	9990.14	1341231
रबी 2019-20 (15.07.2019 के अनुसार)				
1	तेलंगाना	36211.80	168.82	23000
2	आंध्र प्रदेश	28696.95	174.39	18961
3	कर्नाटक	33.40	0.15	38
4	राजस्थान	728969.78	3112.24	347353
5	महाराष्ट्र	22392.32	103.45	17954
6	गुजरात	60443.00	266.76	31413
7	उत्तर प्रदेश	2362.00	10.28	1308
8.	हरियाणा	253567.60	1067.89	122568
9.	तमिलनाडु	8769.08	56.53	7515
10.	मध्य प्रदेश	815303.89	3681.93	354026
11.	ओडिशा	5863.03	38.89	6545
	सकल योग	**1962612.85**	**8681.33**	**930681**

*****